राज्य का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना है, किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा तभी की जा सकती है जबकि राज्य के नागरिक अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। अतः राज्य अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करता है और जिनका पालन न किये जाने पर व्यक्ति दण्ड का भागी होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य द्वारा निर्मित और लागू किये जाने वाले इन नियमों को ही कानून कहते हैं।

कानून की परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वानों के अनुसार

वुडरो विल्सन - कानून स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंश है, जिसे शासक की शक्ति लागू करती है।

आस्टिन - कानून सम्प्रभु की आज्ञा है।

प्रो. मैकाइवर - कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है।

ग्रीन - अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है, जिसे सरकार लागू करती है।

हॉलैण्ड - आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं, जो मनुष्य के बाहरी आचरण से सम्बन्धित होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कानून वे नियम हैं जिन्हें राज्य के द्वारा निर्मित या स्वीकृत किया जाता है और जिनका पालन न करने पर राज्य के द्वारा दण्डित किया जाता है।

कानून -

(i) परम्परागत नैतिकता अथवा उस वस्तु की सहज अभिव्यक्ति जिसे राज्य को लागू करना चाहिए, अथवा

(ii) नियमों की ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा प्रभुत्व-सम्पन्न वर्ग के हितों की सुरक्षा की जाती है, अथवा

Avinash

(iii) ऐसे नियमों की प्रणाली जो सबके लिए बाध्यकारी तथा पालनीय हो, अथवा

(iv) नियमों की ऐसी प्रणाली जिसका लक्ष्य न्याय को साकार करना है, अथवा

(v) ऐसे नियमों की प्रणाली जिसे विवेक खोज सके, अथवा

(vi) प्रभुसत्ता-सम्पन्न शासक का आदेश, अथवा

(vii) जो निर्णय न्यायाधीश न्यायालय में देते हैं, अथवा

(viii) नियमों की ऐसी प्रणाली जो दमनात्मक मान्यताओं से समर्थित हो।

यह न्यायालयों द्वारा लागू किए गए नियमों का निकाय है।

कानून के तत्व (Elements of Law)

(i) कानून के लिए नागरिक समाज का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि नागरिक समाज ही एक सुव्यवस्थित संगठन है और इस संगठन के संचालन हेतु ही नियमों की आवश्यकता होती है।

(ii) कानून के निर्माण तथा उनकी क्रियान्विति के लिए एक सम्प्रभुत्वपूर्ण सत्ता का अस्तित्व आवश्यक है।

(iii) कानूनों का सम्बन्ध व्यक्ति के बाहरी आचरण से होता है, उनकी आन्तरिक भावनाओं से नहीं।

(iv) नागरिकों को कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है और कानून का उल्लंघन करने पर वे लज्य दण्ड के भागी होते हैं।

(v) कानून ऐसे होने चाहिए, जिनका पालन न केवल दण्ड के भय से वरन् सामाजिक हित की भावना से किया जाए।

मैकाइवर — राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है।

("The state is both the child and the parent of law - R.M. MacIver, The Modern State, P. 272.)

Mamta Singh